न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 28/2025 G.C.M.S. No. 2025/23 दर्ज दिनांक : 30.01.2025

अपीलार्थिगणः

1. मृतक रामी के कायम मुकाम इन्द्रराम पुत्र स्व. आदुराम जाति जाट निवासी मालाण बेरा, नया गांव पाली, तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. लक्ष्मी पत्नि स्व. मोहनराम
2. कमली पुत्री स्व. मोहनराम
3. मीसु पुत्री स्व. मोहनराम
4. हीरा पुत्री स्व. मोहनराम
5. मुन्नी पुत्री स्व. मोहनराम समस्त जातिगण जाट, निवासी भवाद तहसील व जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकारी जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2013 बअनवान रामी बनाम लक्ष्मी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2025

पैरोकारः–

1. श्री हरिराम नेहरा, श्री संदीप नेहरा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री भानु कुमार जांगिड़, श्री प्रवीण व्यास, श्री नरेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2013 बअनवान रामी बनाम लक्ष्मी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि पाली चक संख्या 2 के खसरा नम्बर 532 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बैरा एवं खसरा नम्बर 533 रकबा 44 बीघा 01 बिस्वा किस्म चाही सोयम एवं रकबा 30 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, उक्त खसरा नम्बर 533 का कुल रकबा 74 बीघा 02 बिस्वा, उपरोक्त दोनों खसरों की कुल कृषि भूमि 75 बीघा 07 बिस्वा स्थित है, जो वाद की विषय–वस्तु थी। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 6 आदुराम एवं मोहनराम पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी गाँव भवाद तहसील व जिला नागौर (राज.) प्रत्येक के 1/2–1/2 हिस्सा उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 30.12.1965 को खरीदकर, म्युटेशन संख्या 108 के द्वारा खातेदारी अधिकारी प्राप्त किये थे। वादी रामी के उक्त मोहनराम सग्गे भाई एवं सह खातेदार आदुराम के सगे साले

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

रिश्तें में लगते थें। उक्त मोहनराम ने विवादित कृषि भूमि का आधा हिस्सा अपनी स्वअर्जित आय से खरीदा था, जिसकों हस्तांतरण करने का एक मात्र कानूनी अधिकार था। उक्त मोहनराम ने विवादित कृषि भूमि का आधा हिस्सा के खातेदारी अधिकारी, वादी रामी को दिनांक 23.05.1985 को वसीयत कर दी हैं। उक्त मोहनराम का स्वर्गवास दिनांक 01.09.2006 को गांव भवाद में हो गया था। उक्त मोहनराम की मृत्यु के बाद, वादी रामी का विवादित कृषि भूमि में आधे हिस्से के, उपरोक्त वर्णित वसीयत के आधार पर, खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये थें। वादी रामी बतौर वसीयत खातेदार के, विवादित कृषि भूमि के आधे हिस्से पर कब्जाकाश्त होने से, श्रीमान् सहायक कलक्टर पाली के न्यायालय में दिनांक 28.12.2010 को बाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राज काश्तकारी अधि. के तहत प्रतिवादीगण मृतक मोहनराम के वारिसों एवं सह–खातेदार आदुराम को पक्षकार बनाकर, पेश किया गया था। प्रतिवादी संख्या 6 आदुराम की मृत्यु होने पर, वादी रामी के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 (4) सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसमें आदुराम सह–खातेदार एवं फोरमल पक्षकार होने से उसके विधिक वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लिये जाने की छूट दिये जाने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का आदेश दिनांक 11.12.2014 को पारित किया गया। उसके उपरान्त उक्त राजस्व पत्रावली राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन रही। उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की स्थिति पेश करने हेतु दिनांक 22.04.2024 तक अवसर दिये जाते रहे, आगामी पेशी दिनांक 11.06.2024 को वकील वादी ने न्यायालय को अवगत कराया कि वादी रामी की मृत्यु हो चुकी है, उसके वारिसों से सम्पर्क कर, आगामी कार्यवाही हेतु समय चाहा गया तथा आगामी पेशी दिनांक 25.06.2024 को मृतक रामी के कायम मुकाम अपीलाण्ट इन्द्रराम द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया एवं नकल प्रतिवादीगण को दिलाई गई। प्रतिवादीगण श्रीमती लक्ष्मी की ओर उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर, बहस सुनकर, अपीलाण्ट इन्द्रराम का प्रार्थना–पत्र को खारिज कर, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2025 को पारित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध एवं प्रताड़ित होकर अपीलाण्ट मृतक रामी के कायम मुकाम इन्द्रराम की ओर से उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का मय शपथ–पत्र एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं रामी का मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा वसीयत की फोटो प्रति के साथ पेश किया गया। जिस पर प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का यथोचित उचित कारण वर्णित किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुरूप परिपूर्ण नहीं होने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मानकर भारी भूल की हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के कथनानुसार वादी रामी के विधिक वारिसान चार पुत्र एवं छः पुत्रियों को प्रार्थना–पत्र में समाविष्ट नहीं कर, केवल मात्र प्रार्थी इन्द्रराम को बतौर वादी संयोजित कर, प्रार्थी ने कानूनी प्रक्रिया अनुसार पालन नहीं कर, न्यायालय से तथ्य छुपाने का एवं मृतका के वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों का उल्लेख नहीं करने का आरोप लगाकर अपीलाण्ट का उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 सीपीसी का खारिज कर, वाद का एबेट होना मानकर, वाद का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा निस्तारण कर, खारिज कर, डिक्री पारित की गई, जोकि प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ–पत्र एवं वसीसत पर बिना गौर किये, वसीयत की सत्यता जानने हेतु विधि के सुस्थापित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही नहीं करते हुए की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब को किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र पेश किया। जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.01.2011 से जैरकार था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2012 को विवाद्यक कायम किए जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थीं। इसी दरम्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2025 द्वारा उपशमित मानते हुए खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अपीलाधीन निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादिनी रामी का दिनांक 15.02.2024 को देहांत होने के पश्चात प्रार्थी इंदराराम द्वारा वसीयत दिनांक 03.02.2024 के आधार पर मृतक वादिया का एकमात्र कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम दिनांक 25.06.2024 को प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि प्रार्थी इंदराराम मृतका रामी का पुत्र है। जिसे विचाराधीन वादपत्र की जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बखूबी थीं। कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत किया गया तथा मृतका के चार पुत्र व छः पुत्रियां के तथ्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, के आधार पर विलंबकाल माफीयोग्य नहीं मानते हुए धारा 5 परिसीमा अवधि का खारिज करते हुए वादपत्र स्वतः अबेट होने से खारिज कर दिया गया।

3. उपर्युक्त विवेचन व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक वादिया के कायम मुकाम बाबत प्रार्थना पत्र 90 दिवस के बजाय 130 दिवस में प्रस्तुत किया गया। अर्थात लगभग 40 दिवस का विलंब हुआ है। वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.02.2024 को न्यायिक कार्यवाही संपन्न हुई। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी क्रमशः 12.02.2024, 27.02.2024 व 22.04.2024 को न्यायिक कार्यवाही संपादित नहीं हुई तथा पीठासीन अधिकारी दीगर राजकार्य में व्यस्त होना अंकित किया गया। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.06.2024 नियत की गई। उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसार अधिवक्ता वादी ने वादिया की मृत्यु होना अवगत करवाते हुए कायम मुकाम हेतु समय चाहा गया। जिसमें आगामी तारीख पेशी 25.06.2024 नियत की गई। दिनांक 25.06.2024 को अधिवक्ता वादी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में विलंब वस्तुतः नियत दिनांक को न्यायिक कार्यवाही संपादन नहीं होने से हुई हैं न कि अपीलांट प्रार्थीगण की लापरवाही या उदासीनता से।

4. चूंकि वादपत्र में एकमात्र वादिया मृतका रामी थीं तथा अपीलांट प्रार्थी जोकि रामी का पुत्र है, द्वारा स्वयं के पक्ष में मृतका द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर बतौर कायम मुकाम पक्षकार संयोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह कथन करना कि प्रार्थी द्वारा रामी के दीगर वारिसान का तथ्य छुपाया है, प्रकरण में प्रासंगिक व आवश्यक नहीं हैं।

5. वादपत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है तथा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में दीर्घ विलंब नहीं होकर महज 40 दिवस का विलंब हुआ है तथा उक्त विलंब भी नियत दिनांक को न्यायिक कार्यवाही संपादन नहीं होने से हुआ है न कि अपीलांट प्रार्थी की लापरवाही से। प्रकरणों का न्यायिक–निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की प्रथम आवश्यकता है तथा किसी भी दशा में प्रक्रियात्मक प्रावधान सारवान विषय पर प्रभावी नहीं हो सकते। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट सारवान होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारवान होने व विलंब सद्भाविक होने से तथा अपीलांट मृतक वादिया का पुत्र व अपीलांट के पक्ष में वादिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा निष्पादित वसीयतनामा होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करते हुए उपशमन को अपास्त करते हुए अपीलांट प्रार्थी को मृतक वादिया रामी का कायम मुकाम के रूप में संयोजित करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2013 बअनवान रामी बनाम लक्ष्मी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2025 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र सारवान होने व विलंब सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाकर उपशमन अपास्त करते हुए अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट प्रार्थी को मृतक वादिया रामी का कायम मुकाम स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता अपीलांट वादी अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित शीर्षक पेश करें। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संशोधित शीर्षक प्राप्त कर अग्रिम विधिनुरूप कार्यवाही संपादित करते हुए प्रकरण का विधिनुरूप निर्णयन करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 03.11.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर पाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner